ORDER SHEET 338-2013rct

	- (4)	
Date of order of proceedin	Order or proceeding with singnature of presiding officer	Singnature of parties or pleaders where
g	A A	necessary
23-2-17	10 3	
	6	
1	राज्य द्वारा एडीपीओ उप0।	
4	आरोपी सहित अधि०श्री कमलेश शर्मा उप०	
10.	प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।	
A I	आज दिनांक को फरियादी भजनलाल,आहतगण श्रीमती मुन्नी एवं	
120	सुदामा उप0 है। फरियादी व आहतों की पहचान अधि0श्री बाबूराम चौरसिया द्वारा की	
60	गई है।	
Zo.	इसी प्रकम उभयपक्षों द्वारा व्यक्त कियागयाकि वह प्रकरण का	
_	निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते है चूंकि उभयपक्ष प्रकरण का	
	निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते है। अतः प्रकरण मीडिएशन की कार्यवाही हेतु प्रशिक्षित मीडिएटर श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय गोहद	
	के न्यायालय में भेजा जाता है। इस संबंध में रेफरल ऑर्डर तैयार किया जावे।	
	उभयपक्षो को निर्देशित किया जाता हैकि वह मीडिएशन की	
	कार्यवाही हेतु प्रशिक्षित मीडिएटर श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय गोहद	
	के न्यायालय में उपस्थित रहें।	de 1
	प्रकरण मीडिएशन रिर्पाट हेतु थोडी देर पश्चात पेश हो।	X B
		C. V.
		1 20
	जे०एम०एफ०सी०	'5
	राज्य द्वारा एडीपीओ उप०।	A .
	आरोपी सहित अधि०श्री कमलेश शर्मा उप०	CA
	प्रकरण में मीडिएशन रिर्पोट प्राप्त।	
	इसी प्रकम पर उभयपक्षों द्वारा दप्रस की धारा 320(2) के अंतर्गत	
	राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति चाही गयी।	
	प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि	
	प्रकरण में आरोपी पप्पू धोबी पर भादस की धारा 294,325,323 दो शीर्ष एवं 506 भाग	
	दो के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए हैं। आरोपी पर आरोपित अपराध न्यायालय	
	की अनुमित से राजीनामा योग्य है। फरियादी भजनलाल व आहतगण श्रीमती	
	मुन्नी,सुदामा ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना	
	व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में है एवं लोकनीति के अनुरूप है। अतः	
	वाद विचार उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं	
	उभयपक्षों को प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। राजीनामा	
	के आधार पर आरोपी पप्पू धोबी को भा0द0सं0 की धारा 294,325,323 दो शीर्ष एव	
	506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।	
	आरोपी पूर्व से जमानत हैं उसके जमानत व मुचलके भारहीन किए जाते हैं।	

प्रकरण में जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं है। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण को अभिलेखागार में जमा किया जावे। प्रतिष्ठा अवस्थी अति०सी०जे०1गोहद ELIMINA PRICION SUR